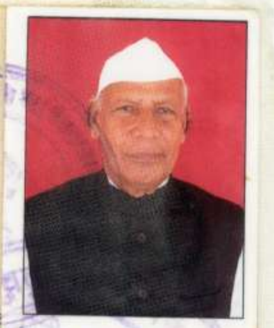

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत संस्थाओं हेतु

### *शहरी जमाबन्दी के आधार पर संस्थागत प्रयोजनों के लिये रियायती दर पर आवंटित भूमि के उपयोग/उपभोग हेतु पट्टा*

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 30/9/ 2009 को, विक्रय-पत्र संख्या 09 सम्वत 2066 राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर संस्था (नाम) राजस्थान शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठ (संस्थान) समिति जो रजिस्ट्रार संस्थाऐं के अन्तर्गत पंजीकृत है (पंजीयन सं. 143/1988-89 दिनांक 12/07/88) अरिये सचिव श्री मोतीलाल जोशी जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग में वैसा अर्थ निकले, उस संस्था/बोर्ड/प्रबन्धक-कारिणी भी सम्मिलित होंगे के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रु. 3,96,568/- (अक्षरे तीन लाख छियानवे हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) को रकम के नजराने जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है।) और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों व साथ-साथ आवंटन की शर्तों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लागू शर्तों को पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट) जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है, उपयोग/उपभोग हेतु) प्रदान करती है जो ग्राम जोहरबाग, तह. जयपुर योजना संस्थानिक भूमि ख. न. 124, 127 से 130 में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ------ रंग से दिखलाया गया है, और जिसे निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :—

1. उक्त भूखण्ड आवंटी को पट्टे (लीज-होल्ड) के आधार पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. आवंटित भूमि व इसके पश्चात् निर्मित भवन को संस्था किसी को भी उप पट्टे (सब-लीज) पर स्थायी/अस्थायी रूप से नहीं दे सकती। उप पट्टे/किराये पर देने पर आवंटन स्वत: ही निरस्त समझा जाकर भूखण्ड जब्त कर लिया जायेगा तथा कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
3. पट्टेदार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जिसे सरकार समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में शहरी जमाबन्दी (लीज राशि) के तौर पर अंके 3,17,254/- रु. तीन लाख सतरह हजार दो सौ चौवन पै. (अक्षरे — एक मुश्त) मात्र पेशगी अदा करेगा। यदि शहरी जमाबन्दी नियत तारीख तक जमा नहीं की गई तो बकाया रकम पर तत्समय प्रचलित दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।
4. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् 25 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्दि की जायेगी।
5. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश का जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर जविप्रा ऐसी रकम या उसके अंश को उस तारीख से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिए सक्षम होगी।
6. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस संस्था के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानिक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। जिस सार्वजनिक उद्देश्य हेतु संस्था को भूमि आवंटित की गयी है उसी उद्देश्य के लिए भूमि व भवन का उपयोग किया जावेगा। भूखण्ड व भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग या उपभोग नहीं किया जा सकेगा।
7. भूखण्ड पर निर्माण कार्य आवंटन के दो वर्ष की अवधि में प्रारम्भ कर पूर्ण करना होगा अन्यथा भूखण्ड के पेटे जमा कराई गई राशि में से 25 प्रतिशत राशि काटी जाकर शेष 75 प्रतिशत राशि बिना ब्याज के वापस लौटाई जाकर भूखण्ड जिस भी स्थिति में होगा जब्त कर लिया जायेगा तथा कोई मुआवजा इत्यादि नहीं दिया जावेगा।
8. पट्टेदार/आवंटी द्वारा भूखण्ड पर जो भी भवन निर्माण कार्य करवाया जावेगा वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्राप्त की गई स्वीकृति एवं स्वीकृत किये गये मानचित्रों के अनुसार ही किया जावेगा।
9. आवंटी संस्था सक्षम अधिकारी को सीधे वे तमाम साधारण विशेष और स्थानीय कर/दर/अपवाद/लागत अदा करेगी जो उक्त भूखण्ड या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में या उस पर बनाये गये किसी भवन या भवनों बाह्य गृहों या बाड़ियों अन्य तामीरों के सम्बन्ध में या उस समय आयद किये या लगाये गये हों और काबिल अदा हों।
10. चूंकि उपरोक्त भूखण्ड विशेष शर्तों के अन्तर्गत विशेष रियायत से आवंटन किया गया है अत: भूखण्ड को राज्य सरकार या किसी विधि मान्य वित्तीय संस्था से भूखण्ड के अधिकृत उपयोग हेतु ऋण लिये जाने के एवज में रहन रखने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से रहन/बेचान/किराये इत्यादि के लिये हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। संस्था के अवसायन में चले जाने अथवा जिस उद्देश्य के लिए संस्था शुरू की गई थी उन उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात् संस्था के बन्द हो जाने की दशा में उक्त सम्पत्ति स्वत: ही जयपुर विकास प्राधिकरण/राज्य सरकार के स्वामित्व में मानी जावेगी तथा इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
11. संस्था के बोर्ड/प्रबन्धकारिणी में एक सदस्य प्राधिकरण का तथा एक सदस्य राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का होगा। इस संबंध में संस्था यथोचित प्रावधानों का निर्माण करेगी एवं यथानुरूप उप नियम संस्वीकृत करा जविप्रा को उप नियमों की प्रति सहित 60 दिन की अवधि में सूचित करेगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही न करने को पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन मान तद्नुरूप कार्यवाही की जायेगी। आवंटित भूमि पर भवन विकास एवं संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई भी निर्णय बोर्ड/प्रबंधकारिणी की बैठक में ही लिये जायेंगे एवं ऐसी बैठक में प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि को बुलाना अनिवार्य होगा।
12. संस्था को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना एवं कर इत्यादि का भुगतान करना होगा।
13. पट्टेदार/आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुये भवन यदि कोई हों, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
14. यदि संस्था को आवंटित भूमि का कोई भाग बाद में किसी समय राज्य सरकार द्वारा या आवंटनकर्ता संस्था द्वारा किसी विकास कार्य हेतु आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार अथवा आवंटनकर्ता संस्था प्राधिकरण उस भू-भाग को आवंटन की दर पर वापिस ले सकने के लिये स्वतन्त्र होगा। यदि उक्त भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य या अन्य कोई विकास कार्य किया गया होगा तो उसके लिए मुआवजा अलग से देय होगा।

उप-पंजीयक (प्रथम) एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

कृ.प.ऊ.

15. शैक्षणिक संस्थाओं के प्रयोजन के लिए आवंटित भूखण्ड पर संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य सरकार द्वारा एतदर्थत समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार आरक्षण/भर्ती/फीस आदि का उक्त आवंटित संस्था को पालना करनी होगी।

16. राज्य हित व विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त आवंटित भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थाई रूप से प्रयोग में ले सकेगा, जिसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

नोट :— इस भूखण्ड की वार्षिक शहरी जमाबन्दी 79,313/50पै. रूपये की पंजीकृत मूल्य राशि रूपये 15,86,273/- होती है। अतएव स्टाम्प स्टाम्प नं. ... संख्या 6 राशि 80,000+10/- रुपये बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।
5778/5, 5779/1

| | | | |
|---|---|---|---|
| कस्बे का नाम जयपुर विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 4665.50 व.ग. | पूर्व ... पश्चिम ... प्लाट की संख्या यदि कोई हो ... सीमा<br>उत्तर ... दक्षिण ... योजना का नाम ...<br>संलग्न स्थल मानचित्र अनुसार | पूर्व<br>पश्चिम<br>उत्तर<br>दक्षिण | स्थान मानचित्र संलग्न है। |

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये है।

*राजस्थान सरकार की ओर से—*

राजस्थान सरकार की ओर से
आज सन् 2009 ... के ... वें दिन ... श्री वीरेन्द्र सिंह — उपायुक्त सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन 2 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी:—

(1) नाम शिव कुमार श्रीवास्तव
पिता का नाम स्व. श्री दया कुमार श्रीवास्तव
व्यवसाय राजकीय सेवा
निवास स्थान जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम निसार मोहम्मद
पिता का नाम अब्दुल हमीद
व्यवसाय राजकीय सेवा
निवास स्थान जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक ... /2009 को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री राजस्थान शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठ समिति जरिये सचिव, श्री मोतीलाल जोशी, शाहपुरा बाग, आमेर रोड खरीददार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

खरीददार के हस्ताक्षर
सचिव
रा.शि.प्र.सं. समिति
जयपुर

साक्षी:—

(1) नाम महेश कुमार शर्मा
पिता का नाम श्री मोहन लाल शर्मा
व्यवसाय शिक्षण
निवास स्थान प्लाट नं. 145, शंकर नगर कालोनी, ... जयपुर

महेश कुमार शर्मा
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम राज कुमार शर्मा
पिता का नाम हरिनारायण शर्मा
व्यवसाय शिक्षण
निवास स्थान ... वाया - मनोहरपुर जिला - जयपुर (राज.)

साक्षी के हस्ताक्षर

उप-पंजीयक ... पंजीयन एवं मुद्रांक ... जयपुर

INSTITUTIONAL
SITE PLAN OF KHASRA NO. 124, 127 to 130 IN VILLAGE (NAHAR GARH)

SCHEME RAJASTHAN EDUCATIONL TRANING CENTER VIDHYA PITH JAIPUR (Raj) AT SHAPURA BAGH AMER ROAD JAIPUR

AREA 4665.50 SQ Yds OR 3902.37 SQM

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS

SCALE :- 1 ~~CM = 5 MTR~~

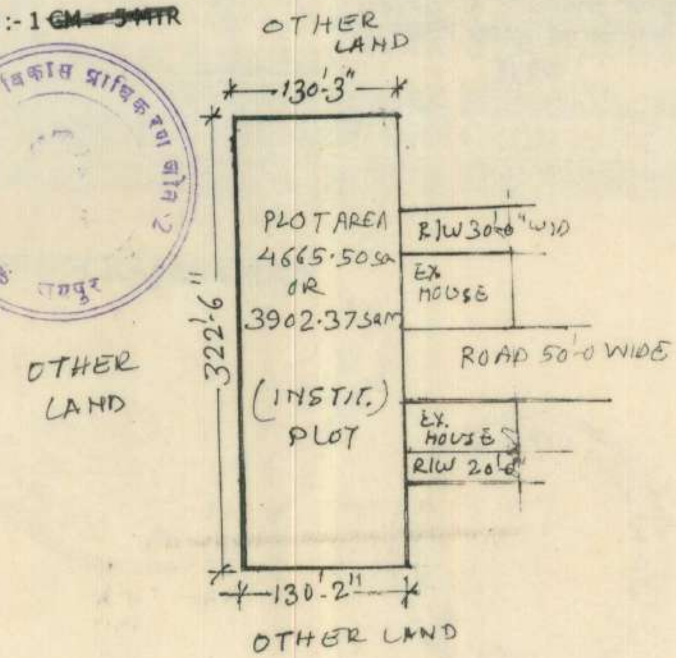


30/9/09 SITE ENGINEER

30/9/09 TOWN PLANNING ASSISTANT/ATP

DY C. CONVERSSION
उपायुक्त
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

# JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
# JAIPUR

आज दिनांक 7/10/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 199
में पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 2009398003426पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 794
के पृष्ठ संख्या 351 से 362
पर चस्पा किया गया।

( 2009398005956 ) उप पंजीयक, JAIPUR-IV

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1 -MOTI LAL JOSHI AS. SEC. RAJ. SIKSHAN PRASIKSHAN VIDHYA PITH SAMITI . / LATE. BADARI NARAIAN JOSHI
उम्र -78 वर्ष जाति - JOSHI , व्यवसाय -PROFESSIONAL
निवासी - SHAHPURA BAGH AMER ROAD JAIPUR

Signature | Photo | Thumb

(And Claiment)
1 -JDA. / .
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -REST
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 1586272 /- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 1586272 /- पूर्व में --------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1- श्री/श्रीमती/सुश्री KAILASH NAMA ADV.
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री .
उम्र -0 वर्ष जाति-null व्यवसाय -ADVOCATE
निवासी JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठ्र के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

( 2009398005956 )
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, JAIPUR-IV
उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

आज दिनांक 7/10/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 199
में पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 2009398003426पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 794
के पृष्ठ संख्या 351 से 362
पर चस्पा किया गया।

( 2009398005956 )
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, JAIPUR-IV
उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

आज दिनांक 7 माह अक्टूबर सन् 2009 को 11:49 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री MOTI LAL JOSHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE. BADARI NARAIAN JOSHI
उम्र 78 वर्ष, जाति JOSHI व्यवसाय PROFESSIONAL
निवासी SHAHPURA BAGH AMER ROAD JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2009398005956)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-IV

उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

| | |
|---|---|
| रसीद नं0 | [2009398006055] |
| दिनांक | [7-10-2009] |
| पंजीयन शुल्क रू0 | 15870 |
| प्रतिलिपि शुल्क रू0 | 0 |
| पृष्ठांकन शुल्क रू0 | 200 |
| अन्य शुल्क रू0 | 0 |
| कमी स्टाम्प शुल्क रू0 | 0 |
| कुल योग रू0 | 16070 |

( 2009398005956 ) उपपंजीयक,JAIPUR-IV
((Lease deed for local bodies (Patta)))

उप-पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN L 890934

## संशोधित लीजडीड प्रपत्र

विषय : संस्थानिक भूमि खसरा नम्बर 124, 127 से 130 क्षेत्रफल 4665.50 व.ग. ग्राम नाहरगढ तहसील जयपुर के सम्बन्ध में।

संदर्भ : पूर्व में जारी लीजडीड क्रमांक 09 दिनांक 30.09.2009

संस्थानिक भूमि खसरा नम्बर 124, 127 से 130 क्षेत्रफल 4665.50 व.ग. ग्राम नाहरगढ तहसील जयपुर की लीज डीड क्रमांक 09 दिनांक 30.09.2009 राजस्थान शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठ संस्थान समिति जरिये सचिव श्री मोतीलाल जोशी के नाम से जारी की गई थी जो उप–पंजीयक–चतुर्थ, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर के द्वारा दिनांक 07.10.2009 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 199 में पृष्ठ संख्या 79 पर क्रम संख्या 2009398003426 पर पंजीबद्व किया एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 794 के पृष्ठ संख्या 351 से 362 पर चस्पा किया गया।

संस्थान के आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2020 एवं रजिस्ट्रार (संस्थाएं), जयपुर द्वारा दिनांक 17.11.2006 के पंजीयन पत्र के आधार पर कार्यालय द्वारा जारी लीज डीड राजस्थान शिक्षण प्रशिक्षण विद्यापीठ संस्थान समिति के स्थान पर 500/–रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रपत्र पर संशोधन करते हुए राजस्थान शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान समिति किया जाता है। जिसे पूर्व जारी लीज डीड क्रमांक 09 दिनांक 30.09.2009 का भाग मानते हुए रिकॉर्ड में दर्ज करने का श्रम करें।

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उप–पंजीयक (चतुर्थ)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर

क्रमांक 1847 विक्रय का दिनांक 6.2.'21

मुद्रांक का मूल्य 50

क्रेता का नाम [illegible]

पिता का नाम [illegible]

निवास स्थान [illegible]

मुद्रांक खरीदने के [illegible] सम्पत्ति

है का मूल्यांकन [illegible]

श्याम [illegible]
ला. स्टाम्प [illegible]
B-15, J.D.A. [illegible]
[illegible]

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत
स्टाम्प राशि पर [illegible] अधिभार

| | |
|---|---|
| 1. आधारभूत [illegible] ( [illegible] ) [illegible] हेतु | 50 |
| 2. गाय और [illegible] | |
| [illegible] हेतु रुपए | 1.00 |
| कुल योग | 18 |

हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

**Endorsement of Execution**

| अनु क्र. | पक्षकारों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | पक्षकारों का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री/श्रीमती/सुश्री DR RAJKUMAR JOSHI AS SECREATERY RAJASTHAN SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN SAMITI , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LATE MOTI LAL JOSHI, व्यवसाय Otherजाति 0-JOSHI<br>House No.:28 AND 28-A, Colony: SHAHPURA BAGH, Area: AMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN | | | Executant<br>Age : 65<br>Signature : |
| 2 | श्री/श्रीमती/सुश्री JDA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAIPUR, व्यवसाय जाति Jaipur Development Authority | | | Claimant<br>Age : 0<br>Signature : |

ने लेख्यपत्र Supplementary Deed/Correction Deed(Where original is Compulsary Registerable) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

| अनु क्र. | गवाहों का नाम व पता | छायाचित्र | अंगूठा | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SATISH KUMAR TOMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री VEDPAL SINGH जाति HINDU<br>Age: 52<br>Add: House No.:28, Colony: SHAHPURA BAGH, Area: AMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN | | | Signature |

202101018001078 .

उप पंजीयक, JAIPUR-IV

Supplementary Deed/Correction Deed(Where original is Compulsary Registerable)

**Presentation Endorsement**

---

आज दिनांक 16 माह 02 सन् 2021 को 03:32 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री DR RAJKUMAR JOSHI AS SECREATERY
RAJASTHAN SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN SAMITI
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LATE MOTI LAL JOSHI
उम्र 65 वर्ष, जाति 0-JOSHI , व्यवसाय Other
निवासी House No.:28 AND 28-A, Colony: SHAHPURA BAGH, Area: AMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101018001078

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-IV

उप-पंजीयक (चतुर्थ) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

Supplementary Deed/Correction Deed(Where original is Compulsary Registerable)

---

**Fees Receipt Endorsement**

---

| | |
|---|---|
| रसीद नं. | 202102018001153 |
| दिनांक | 16-02-2021 |
| पंजीयन शुल्क ₹ | 200 |
| प्रतिलिपि शुल्क ₹ | 0 |
| पृष्ठांकन शुल्क ₹ | 200 |
| अन्य शुल्क ₹ | 0 |
| कमी स्टाम्प शुल्क ₹ | 500 |
| कमी सरचार्ज शुल्क ₹ | 150 |
| कुल योग | 1050 |

202101018001078

उप पंजीयक, JAIPUR-IV

Supplementary Deed/Correction Deed(Where original is Compulsary Registerable)

उप-पंजीयक (चतुर्थ) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

---

**Under 54 Endorsement**

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 0 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 500 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 200, सरचार्ज राशि 150 कुल रू 850 रसीद संख्या 202102018001153 दिनांक 16-02-2021 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 500 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202101018001078

उप पंजीयक, JAIPUR-IV

Supplementary Deed/Correction Deed(Where original is Compulsary Registerable)

उप पंजीयक (चतुर्थी) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

**Registration Endorsement**

आज दिनांक 16/02/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 499 में
पृष्ठ संख्या 108 क्रम संख्या 202103018100866 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1995 के
पृष्ठ संख्या 765 से 774 पर चस्पा किया गया।

202101018001078

उप पंजीयक, JAIPUR-IV

Supplementary Deed/Correction Deed(Where original is Compulsary Registerable)

उप पंजीयक (चतुर्थी) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर

रजिस्टर्ड नं॰ 2511 एल — फोन 363903

# दी जयपुर बालमीकि गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰ जयपुर

रहीम मंजिल, एम. आई. रोड, जयपुर

दिनांक 02-06-01

सुश्री/श्री/श्रीमती मैं॰ राजस्थान शिक्षक परिक्षण विद्यापीठ, राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन
धीर विहार, आमेर रोड, जयपुर

**विषय : जयपुर बालमीकि गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰ जयपुर द्वारा भू-खण्ड का आवंटन**

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि आपको भूखण्ड संख्या — I-1B — जिसका माप लगभग 831.33 वर्ग गज उपरोक्त योजना में जैसा कि समिति के मानचित्र के आधार पर नगर नियोजन विभाग जयपुर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत है। जो कि रुपया 20,000/- दर ब्याज सहित वर्गगज के हिसाब से भूखण्ड रसीद संख्या 6100 दिनांक 02-06-01 क्रमशः द्वारा है। इसके अतिरिक्त विकास शुल्क एवं भूमि रूपान्तरण शुल्क और अन्य राशि इस विषय पर जब कभी भी यह समिति मांग करेगी आपको भुगतान करना पड़ेगा।

आवंटन निम्न शर्तों पर है।

1. यह भूमि आवासीय वाणिज्य प्रयोजनार्थ भवन बनाने के लिए होगी।
2. यह भवन समिति द्वारा सूचना देने के दो साल के अन्दर-अन्दर बनवाना होगा।
3. भवन का निर्माण समिति की उपविधियों के अनुसार एवं नगर विकास न्यास द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार करना होगा।
4. प्लाट आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल समिति की मंजूरी लेकर आपसी सहमति और ईकरारनामे द्वारा परिवर्तन सम्भव है।
5. समिति अपने हित में जब कभी आवश्यकता पड़ने पर अपनी योजना एवं मानचित्र में परिवर्तन एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखती है।
6. समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड पूर्णतया कृषि भूमि/आवासीय भूमि है।
7. समिति द्वारा आवंटित योजना नगर विकास न्यास जयपुर के पत्र क्रमांक —×— दिनांक —×— द्वारा स्वीकृत योजना है।
   कृपया आवंटन पत्र प्राप्ति की सूचना दें।
8. सदस्य समिति से आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद भूखण्ड पर किसी अन्य सदस्य के अतिक्रमण अथवा विवाद होने पर स्वयं अपने स्तर पर निपटायेगा तथा सदस्य विभागीय निगम, ज. वि. प्रा. समिति आदि द्वारा जारी मान्य निर्देशों का पालन करेगा व सदस्य स्थानान्तरण वगैहरा समिति की स्वीकृति के अभाव में वैध नहीं होंगे।

भवदीय

कृते—दी जयपुर बालमीकि गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰ जयपुर

अरविन्द कुमार

अध्यक्ष

दिनांक 02-6-01

नोट:- सेल एग्रीमेन्ट दि॰ 16-1-1979 व 23-1-1981 के सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट के तहत यह पट्टा जारी किया गया है।

# 'SITE PLAN OF LAND No. I-1B' IN SHAHPURA GARDEN 'DHEER VIHAR' AT AMER ROAD JAIPUR

JAIPUR VALMIKI GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI LTD.
REGD. No. 2511/L
JAIPUR

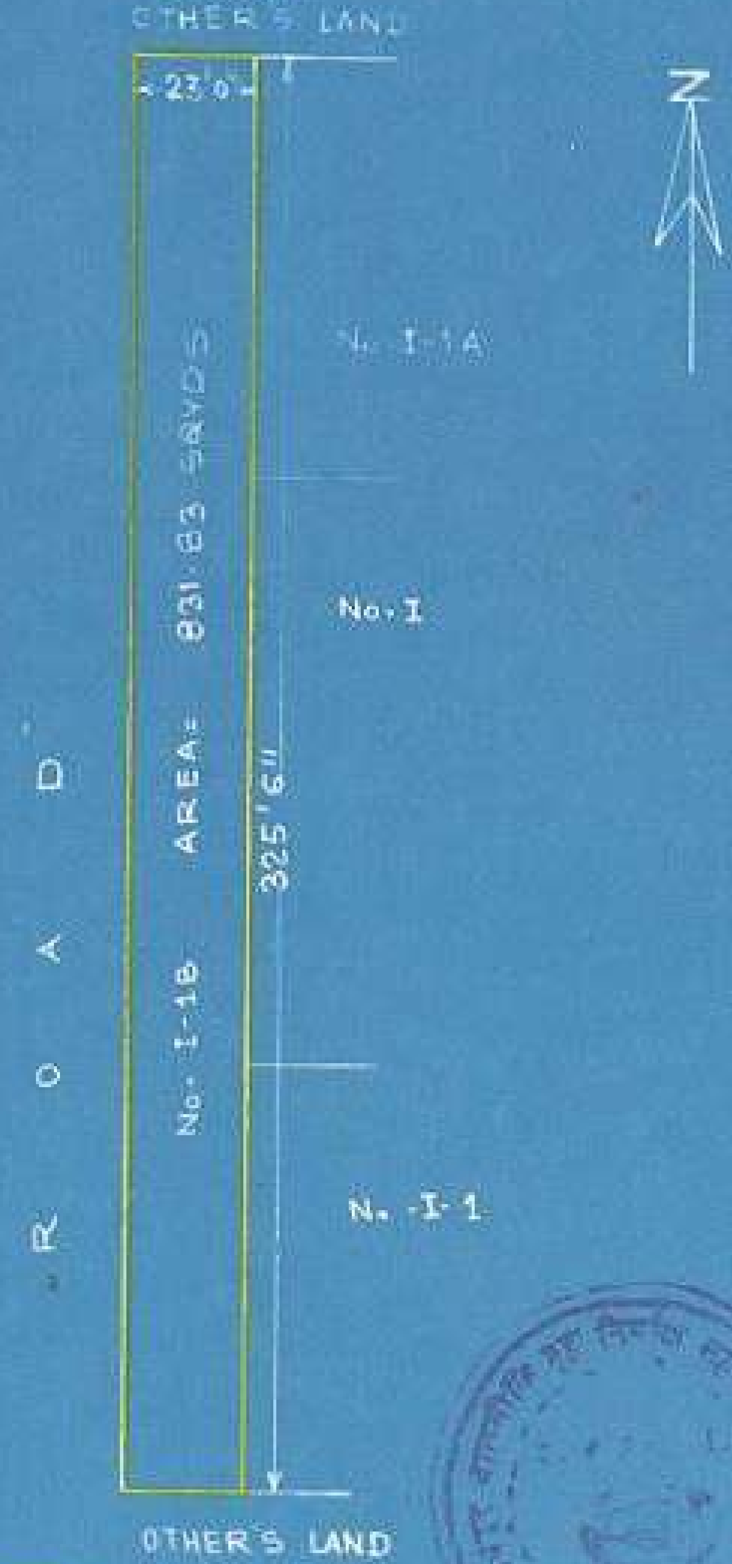


TOTAL AREA = 831-33 SQYDS
DEED COLOUR SHOWN THUS
SCALE = 1" = 50'0"

PRES./SEC.
JAIPUR VALMIKI GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI LTD. JAIPUR

-10-

रजिस्टर्ड नं० 2511 एल

फोन 363903

# दी जयपुर बालमीकि गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर

रहीम मंजिल, एम. आई. रोड, जयपुर

दिनांक 4-4-01

सुश्री/श्री/श्रीमती डॉ. राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ, राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन
धीर विहार, आमेर रोड, जयपुर

**विषय : जयपुर बालमीकि गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर द्वारा भू-खण्ड का आवंटन**

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि आपको भूखण्ड संख्या — I-1C — जिसका माप लगभग — 399.30 — वर्ग गज उपरोक्त योजना में जैसा कि समिति के मानचित्र के आधार पर नगर नियोजन विभाग जयपुर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत है। जो कि रुपया 5000/- दर ब्याज सहित वर्गगज के हिसाब से भूखण्ड रसीद संख्या 5965 दिनांक 4-4-01 क्रमशः द्वारा है। इसके अतिरिक्त विकास शुल्क एवं भूमि रूपान्तरण शुल्क और अन्य राशि इस विषय पर जब कभी भी यह समिति मांग करेगी आपको भुगतान करना पड़ेगा।

आवंटन निम्न शर्तों पर है।

1. यह भूमि आवासीय वाणिज्य प्रयोजनार्थ भवन बनाने के लिए होगी।
2. यह भवन समिति द्वारा सूचना देने के दो साल के अन्दर-अन्दर बनवाना होगा।
3. भवन का निर्माण समिति की उपविधियों के अनुसार एवं नगर विकास न्यास द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार करना होगा।
4. प्लाट आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल समिति की मंजूरी लेकर आपसी सहमति और ईकरारनामे द्वारा परिवर्तन संभव है।
5. समिति अपने हित में जब कभी आवश्यकता पड़ने पर अपनी योजना एवं मानचित्र में परिवर्तन एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखती है।
6. समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड पूर्णतया कृषि भूमि/आवासीय भूमि है।
7. समिति द्वारा आवंटित योजना नगर विकास न्यास जयपुर के पत्र क्रमांक —x— दिनांक —x— द्वारा स्वीकृत योजना है।
   कृपया आवंटन पत्र प्राप्ति की सूचना दें।
8. सदस्य समिति से आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद भूखण्ड पर किसी अन्य सदस्य के अतिक्रमण अथवा विवाद होने पर स्वयं अपने स्तर पर निपटायेगा तथा सदस्य विभागीय निगम, ज. वि. प्रा. समिति आदि द्वारा जारी मान्य निर्देशों का पालन करेगा व सदस्य स्थानान्तरण वगैहरा समिति की स्वीकृति के अभाव में वैध नहीं होंगे।

भवदीय

वास्ते— दी जयपुर बालमीकि गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर

दिनांक 4-4-01

नोट:- सेल एग्रीमेन्ट दि० 16-1-1979 व 23-1-1981 के सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट के तहत यह पट्टा जारि किया गया है।

मन्त्री

अरविन्द कुमार
अध्यक्ष

# SITE PLAN OF LAND No I-1C 'IN SHAHPURA GARDEN 'DHEER VIHAR' AT AMER ROAD JAIPUR

JAIPUR VALMIKI GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI LTD.

REGD No-2511/L JAIPUR

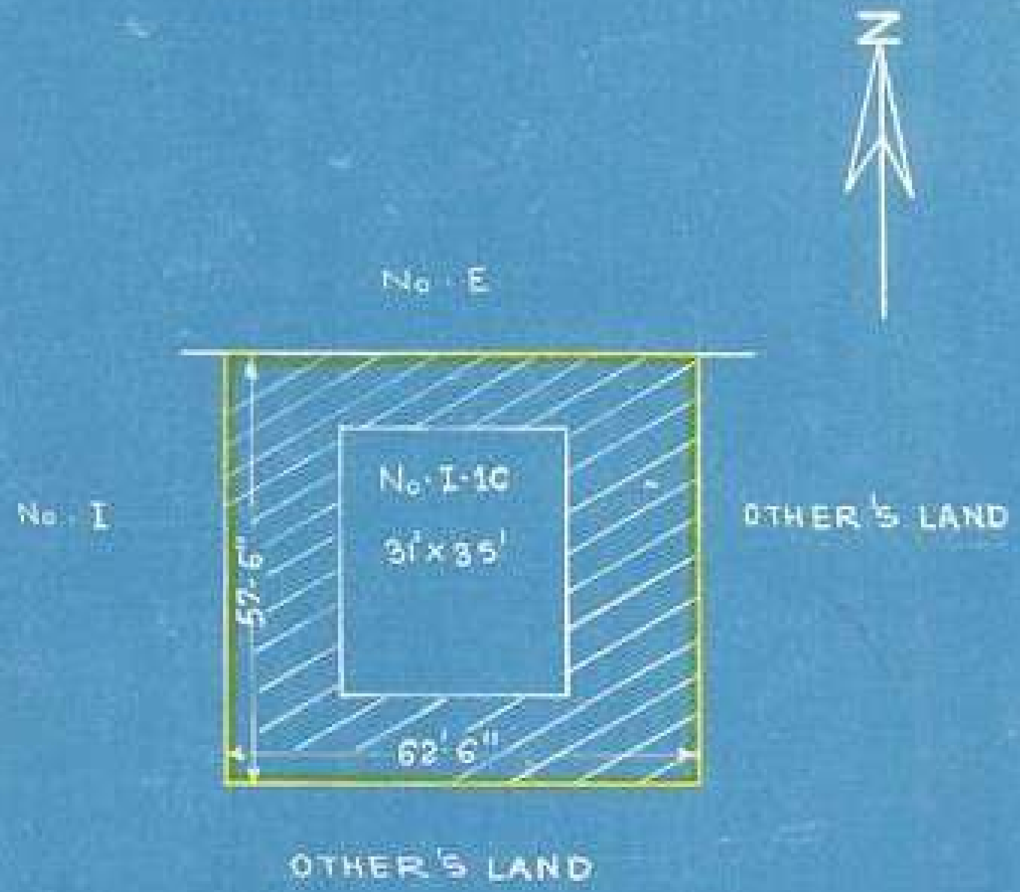


TOTAL AREA = 399.30 SQ YDS

DEED COLOUR SHOWN THUS

SCALE = 1" = 30'0"

PRE | SEC.

JAIPUR VALMIKI GRAH NIRMAN SAHAKARI SAMITI LTD. JAIPUR.